न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– रामकरण सिंह, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0––324 / 2023

प्रविष्टि दिनांक––08.08.2023

1. तेजमल पुत्र नारायण जाति माली उम्र 59 वर्ष निवासी कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक (राज०)
2. फूला पत्नी नारायण जाति माली उम्र 85 वर्ष निवासी कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक (राज०)

– प्रार्थीगण / आवेदकगण

बनाम

1. तहसीलदार साहब तहसील निवाई जिला–टोंक (राज०)

–अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 बाबत दुरूस्त किये जाने नाम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 2875 रकबा 0.0759 हैक्टयर, खसरा नं. 2876 रकबा 0.1265 हैक्टयर, खसरा नं. 2878 रकबा 0.4553 हैक्टयर, खसरा नं. 2881 रकबा 0.1770 हैक्टयर, खसरा नं. 2883 रकबा 0.1265 हैक्टयर, खसरा नं. 2890 रकबा 0.1138 हैक्टयर, खसरा नं. 2921 रकबा 0.4047 हैक्टयर, खसरा नं. 2924 रकबा 0.5817 हैक्टयर, कुल किता 8 कुल रकबा 2.0614 हेक्टर वाके कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टॉक में स्थित भूमि है। इस भूमि में प्रार्थीगण जमाबन्दी अनुसार हक व हिस्सा अनुसार रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि में खातेदारान प्रार्थी सं.1 का नाम का वास्तविक नाम तेजराम पुत्र नारायण है व प्रार्थी सं. 2 का वास्तविक नाम फूलन पत्नी नारायण जाति माली सभी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। किन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से त्रुटिवश प्रार्थी सं. 1 का नाम तेजमल पुत्र नारायण व प्रार्थी सं. 2 का नाम फूला पत्नी नारायण गलत रूप से अंकित हो गया। जिसको राजस्व रिकार्ड में तेजराम पुत्र नारायण है व प्रार्थी सं. 2 का वास्तविक नाम फूलन पत्नी नारायण जाति माली दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। यह कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड के अलावा सभी दस्तावेजों में तेजराम पुत्र नारायण है व प्रार्थी सं. 2 का वास्तविक नाम फूलन पत्नी नारायण जाति माली अंकित है जो सभी दस्तावेजों के अलावा प्रार्थीगण का मुताबिक आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह, कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटरआईडी, बैंक पासबूक एवं सभी दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का नाम तेजराम पुत्र नारायण है व प्रार्थी सं. 2 का वास्तविक नाम फूलन पत्नी नारायण जाति माली राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण को अनावश्यक असुविधा कारित ना हो। यह कि प्रार्थीगण ने अपने नाम को दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार जी निवाई के समक्ष अपना नाम को दुरूस्त करने हेतु अनुरोध किया था परन्तु तहसीलदार साहब निवाई ने न्यायालय का आदेश लाने पर ही उक्त नाम को दुरूस्त करने का आश्वासन दिया है इस कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि भूमि कस्बा निवाई तह० निवाई में स्थित होने से एवं मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से मान्य न्यायालय को उक्त प्रार्थना–पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। मयाद पेश है। यह कि प्रार्थना–पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र के चरण सं.1 में वर्णित खसरा भूमि खसरा नं. 2875 रकबा 0.0759 हैक्टयर, खसरा नं. 2876 रकबा 0.1265 हैक्टयर, खसरा नं. 2878 रकबा 0.4553 हैक्टयर, खसरा नं. 2881 रकबा 0.1770 हैक्टयर, खसरा नं. 2883 रकबा 0.1265 हैक्टयर, खसरा नं. 2890 रकबा 0.1138 हैक्टयर, खसरा नं. 2921 रकबा 0. 4047 हैक्टयर, खसरा नं. 2924 रकबा 0.5817 हैक्टयर, कुल किता 8 कुल रकबा 2.0614 हेक्टर वाके कस्बा निवाई तह० निवाई जिला–टोंक भूमि में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण तेजमल पुत्र नारायण है व प्रार्थी सं. 2 का नाम फूला पत्नी नारायण जिसमें प्रार्थी सं. 1 नाम तेजराम पुत्र नारायण है व प्रार्थी सं. 2 का वास्तविक नाम फूलन पत्नी नारायण जाति माली दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश फरमाया जावे।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2070–73, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पासबूक, की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं पटवार हल्का कस्बा निवाई का मौका पर्चा, शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का एवं पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। बहस का अलग से विवेचन नहीं किया जा रहा है।

हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थीगणों का नाम तेजमल पुत्र नारायण व तेजराम पुत्र नारायण एक ही व्यक्ति होना बताया गया है साथ ही फूला पत्नी नारायण व फूलन पत्नी नारायण भी एक ही व्यक्ति होना बताया है। इस प्रकार प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम बाबत भूमि खसरा नम्बर 2875 रकबा 0.0759 हैक्टयर, खसरा नं. 2876 रकबा 0.1265 हैक्टयर, खसरा नं. 2878 रकबा 0.4553 हैक्टयर, खसरा नं. 2881 रकबा 0.1770 हैक्टयर, खसरा नं. 2883 रकबा 0.1265 हैक्टयर, खसरा नं. 2890 रकबा 0.1138 हैक्टयर, खसरा नं. 2921 रकबा 0.4047 हैक्टयर, खसरा नं. 2924 रकबा 0.5817 हैक्टयर, कुल किता 8 कुल रकबा 2.0614 हेक्टर वाके कस्बा निवाई तह० तहसील निवाई जिला टोंक, तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अलोक मे स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगणों का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में तेजमल पुत्र नारायण के स्थान पर तेजराम पुत्र नारायण व फूला पत्नी नारायण के स्थान पर फूलन पत्नी नारायण अमल दरामद कर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड़ अधिकारी निवाई